

मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा**

पीठासीन अधिकारी:- पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 21/2018 वाद

श्रीमती सुगन कुंवर पत्नी चन्द्र भोपाल सिंह राजपूत, आयु 48 साल,  
निवासी शिवगढ़ (कानपुरा) तहसील निम्बाहेड़ा।

- वादीया

//बनाम//

1. अम्बालाल पिता बद्रीलाल रावत, उम्र 60 साल, निवासी शिवगढ़ (कानपुरा) तहसील निम्बाहेड़ा।
2. प्रभु पिता हरीराम रावत, आयु 75 साल, निवासी भगवानपुरा, हा.मु. निवासी शिवगढ़ (कानपुरा) तहसील निम्बाहेड़ा।
3. भैरूलाल पिता भगवाना रावत, आयु 65 साल, निवासी भगवानपुरा, तहसील निम्बाहेड़ा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा।

- प्रतिवादीगण

**दावा**

**अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 रा.का.अधि.**

प्रकरण में वादी की ओर से अधिवक्ता श्री आशाराम प्रजापत की उपस्थिति में दिनांक 19.06.2019 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 500/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये गये थे कि ग्राम कानपुरा के नामान्तरकरण संख्या 248 दिनांक 16.12.2010 में अंकित विवादित भूमि का बंटवारा वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मध्य उनके राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जे अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स किया जावे। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा द्वारा अपने पत्रांक/राजस्व/बी/09, दिनांक 13.08.2019 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं जो माफिक आदेशानुसार है।

अतः वाद वादीया कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि ग्राम कानपुरा का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है-

| 1- श्री भैरूलाल पिता भगवाना रावत, सा. भगवानपुरा के रहेगी:- | आराजी नं.  | रकबा हेक्टेयर में | लगान रुपये में |
|--|------------|-------------------|----------------|
|  | 190        | 0.0100            | -              |
|  | 192 उत्तरी | 0.0700            | 1.33           |
|  | 193 उत्तरी | 0.2900            | 7.40           |
|  | 194 उत्तरी | 0.2000            | 3.40           |
|  | 195 उत्तरी | 0.0600            | 1.14           |

.....  
कुल किता 5 कुल रकबा 0.6300 हैक्टेयर कुल लगान 13.27 रुपये  
.....

2- श्री प्रभु पिता हरिराम रावत, सा. भगवानपुरा के रहेगी:-

| आराजी नं.      | रकबा हेक्टेयर में | लगान रूपये में |
|----------------|-------------------|----------------|
| 192 उत्तर मध्य | 0.0500            | 0.95           |
| 193 उत्तर मध्य | 0.2200            | 5.61           |
| 194 उत्तर मध्य | 0.0500            | 1.28           |
| 195 उत्तर मध्य | 0.0500            | 0.95           |

कुल किता 4 कुल रकबा 0.3700 हैक्टेयर कुल लगान 8.79 रूपये

3- श्री अम्बालाल पिता बट्टीलाल रावत, सा. देह के रहेगी:-

| आराजी नं.       | रकबा हेक्टेयर में | लगान रूपये में |
|-----------------|-------------------|----------------|
| 192 दक्षिण मध्य | 0.1000            | 1.90           |
| 193 दक्षिण मध्य | 0.2300            | 5.87           |
| 194 दक्षिण मध्य | 0.0300            | 0.57           |
| 195 दक्षिण मध्य | 0.0900            | 1.91           |

कुल किता 4 कुल रकबा 0.4500 हैक्टेयर कुल लगान 10.25 रूपये

4- श्रीमती सुगन कुंवर पत्नी चन्द्र भोपाल सिंह राजपूत, सा. शिवगढ़ के रहेगी। बैंक रहन बदस्तुर रहेगा:-

| आराजी नं.  | रकबा हेक्टेयर में | लगान रूपये में |
|------------|-------------------|----------------|
| 192 दक्षिण | 0.2000            | 3.80           |
| 193 दक्षिण | 0.0300            | 0.77           |
| 194 दक्षिण | 0.0100            | 0.19           |
| 195 दक्षिण | 0.3100            | 5.89           |

कुल किता 4 कुल रकबा 0.5500 हैक्टेयर कुल लगान 10.65 रूपये

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस में अंकित अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 19.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(पंकज शर्मा)  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा

